नागरिक अधिकार पत्र
(Citizen Charter)

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड
(www.agriculture.uk.gov.in)

"यह नागरिक अधिकार पत्र कृषि विभाग के उद्देश्यों, मूल्यों, मानकों एवं उत्तराखण्ड कृषि नीति 2011 के द्वारा प्रख्यापित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रतिबद्धता का लेख पत्र है। कृषि विभाग कल्याणकारी योजनाओं में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये उनके समग्र विकास हेतु संकल्पबद्ध है।"

विभाग का उद्देश्य

''उन्नत बीजों एवं नवीनतम तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य एवं प्रबन्धन, समेकित कीट एवं रोग प्रबन्धन, सिंचाई सुविधाओं का विकास, आधुनिक कृषि यन्त्रों का प्रयोग एवं जैविक कृषि आदि के माध्यम से कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों में समन्वय स्थापित करते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाना है।''

विजन (VISION)

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सतत् कृषि विकास के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुये उत्तराखण्ड प्रदेश की जनता की दीर्घकालीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषकों की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मिशन (Mission)

कृषक सहभागिता से कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से लक्षित विकास दर को प्राप्त करना तथा कृषि क्षेत्र को आयपरक व्यवसाय बनाना।

कृषि विभाग की प्रतिबद्धतायें

- उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तरता एवं वृद्धि बनाये रखने हेतु कार्य करना।
- कृषकों की आय दोगुना करने के लिये कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिकों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना।
- प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये कलस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करना।
- नवीनतम एवं उन्नत बीजों तथा कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करना, ताकि निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति की जा सके।
- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इनके पोषणीय, व्यवसायिक एवं औषधीय महत्व के दृष्टिगत प्रोत्साहित करना।
- सभी कृषकों की कृषि जोतों की मृदा का परीक्षण करना तथा उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये मृदा परीक्षण की वैज्ञानिक संस्तुति के आधार पर पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
- नवनीतम कृषि पद्धतियों और तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार प्रदर्शन, प्रशिक्षण, गोष्ठियों एवं अध्ययन भ्रमण के माध्यम से करना।
- राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन करना, बीज प्रतिस्थापना दर को बढ़ाने हेतु आवश्यक बीजों की व्यवस्था करना। समय से बीजों की आपूर्ति कृषि निवेश केन्द्रों पर करते हुये कृषकों को उपलब्ध कराना।
- कीट–रोग एवं खरपतवारनाशक औषधियों, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि की समय से व्यवस्था करना ताकि कृषकों को समय से उपलब्ध हो सके।
- खेती में कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने, पशु एवं मानव श्रम की निर्भरता को कम करने, समय से कृषि कार्यों के सम्पादन तथा कृषि में नवीन तकनीकी के उपयोग हेतु नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। कम मूल्य एवं न्यूनतम किराया पर अधिक यन्त्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करना।
- वर्षा जल के अधिक से अधिक संचय एवं संरक्षण हेतु संरचनाओं का निर्माण कराना। संचित जल का अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिये प्रयोग करने हेतु स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरीगेशन को प्रोत्साहित करना।
- सिंचाई के साथ–साथ आय में वृद्धि हेतु बहुउददेशीय जल सम्भरण तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
- कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक एवं कीट–रोगनाशी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश–1957, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं बीज अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर उर्वरकों, रसायनों एवं बीजों के नमूनो का प्रमाणिक परीक्षण करना। अमानकों के प्रयोग को रोकना तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही करना।
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं, कीटनाशी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं तथा बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के मानकों को बनाये रखना।

- अतिवृष्टि, भूस्खलन आदि से कृषि भूमि को बचाने हेतु मृदा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाना।
- राज्य में कृषि फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता से सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रकाशन करना।
- अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना।
- कृषि से जुड़े रेखीय विभागों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, शोध संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कृषि विकास को गति देना।
- कृषि में उच्च तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सूचना एवं संचार तंत्र को विकसित करना।
- केन्द्र पोषित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को पहुंचे, समय से धनराशि प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रदेश/क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार प्लान/परियोजनायें तैयार करना तथा उनका अनुमोदन एवं क्रियान्वयन करना।
- जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाते हुये जैविक प्रमाणीकरण तथा उत्पादन में वृद्धि करते हुये उनके विपणन की समुचित व्यवस्था करना।
- निःशुल्क दूरभाष (टोल–फ्री नम्बर) के माध्यम से कृषकों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं का त्वरित समाधान करना।
- कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी देना तथा कृषि निवेशों की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश/कृषि केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

प्रदेश में कृषि –एक दृष्टि में

उत्तराखण्ड प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य स्थापना के समय कृषि क्षेत्र 7.70 लाख हेक्टेयर था जो कि घटकर 6.98 लाख हेक्टेयर रह गया है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में विगत 14 वर्षो में कुल 0.72 लाख हेक्टेयर की कमी आयी है। दूसरी ओर विगत 10 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि अंश में कमी आयी है। वर्ष 2004–05 के स्थिर मूल्यों पर कृषि का अंश जहाँ 16.60 प्रतिशत था। वह घटकर वर्ष 2013–14 में 8.94 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद भी प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनी हुयी है।

गत 10 वर्षों में कृषि के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

(क्षेत्रफल– लाख हैक्टेयर में, उत्पादन– लाख मैट्रिक टन में)

वर्ष	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्रफल	कुल खाद्यान्न उत्पादन	कुल तिलहन उत्पादन	कुल उत्पादन
2001-02	7-70	12-25	16-47	0-15	16-62
2006-07	7.65	12.12	17.23	0.23	17.46
2007-08	7.55	11.87	17.23	0.23	17.46
2008-09	7.53	11.88	16.91	0.21	17.12
2009-10	7.41	11.66	17.27	0.28	17.55
2010-11	7.23	11.70	17.83	0.26	18.09
2011-12	7.14	11.32	18.04	0.27	18.31
2012-13	7.06	11.24	18.11	0.34	18.45
2013-14	7.01	10.99	17.75	0.26	18.01
2014-15	7.00	10.97	16.25	0.26	16.51
2015-16	6.98	10.82	17.56	0.28	17.84
2016-17	6.98*	10.82*	18.72*	0.26*	18.98*
2017-18	6.91*	10.71*	18.27*	0.25*	18.52*

***अनुमानित**

वर्षवार शुद्ध एवं कुल बोया गया क्षेत्रफल निम्न तालिका में अंकित है :–

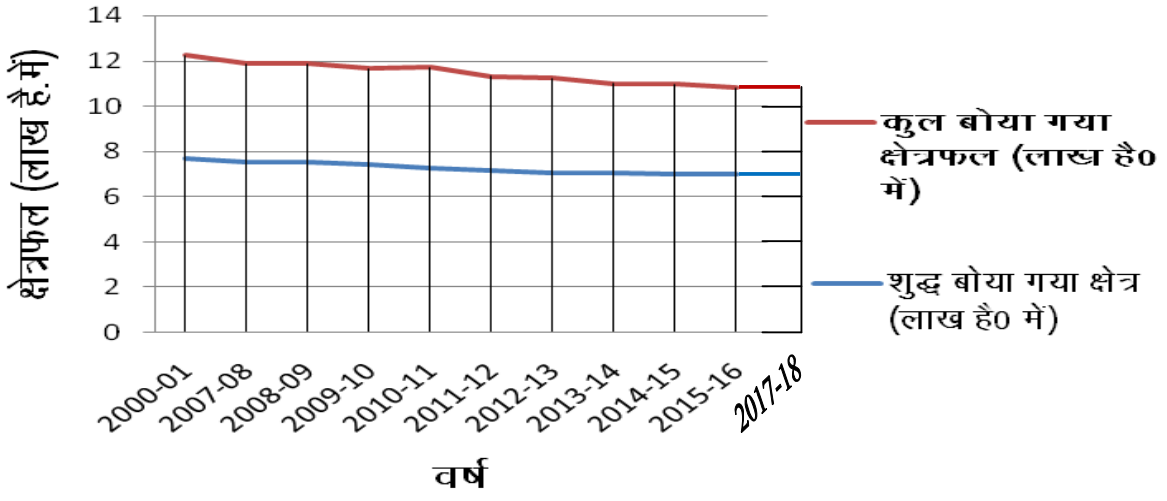

प्रदेश गठन के उपरान्त विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास को तीव्र गति मिली है, जिसके कारण कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनों यथा–आवासीय, शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, सड़क आदि हेतु व्यावर्तन हुआ है। समय–समय पर पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक कारणों विशेषकर, बादल फटने या अतिवृष्टि के कारण भू–स्खलन होने, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान पहुँचाये जाने, कम वर्षा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है।

कृषि क्षेत्र में लगातार आ रही कमी चिंता का विषय है। भविष्य में बढ़ती हुयी जनसंख्या के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन बढ़ाने के लिये कतिपय ठोस उपाय सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें परती भूमि का उपयोग, उन्नत प्रजातियों एवं तकनीकों का प्रयोगा, कलस्टर, कृषि, भूमि एवं जल प्रबंधन जैसे नीतिगत उपायों के साथ–साथ कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों के उचित समन्वयन के साथ रणनीतिक पहल किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 54 प्रतिशत पर्वतीय कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि प्रदेश की कुल सिंचित कृषि भूमि (540999 है0) का लगभग 14 प्रतिशत (76228है0) ही पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्र की खेती वर्षा पर ही निर्भर है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में कृषि की दशायें बिल्कुल भिन्न हैं। मैदानी क्षेत्र की मृदा उपजाऊ है तथा इस क्षेत्र में किसानों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों को उपयोग में लाते हुये कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा की कमी, छोटी एवं बिखरी हुयी जोतें तथा सीढीनुमा खेतों के कारण विकसित तकनीकों एवं मशीनरी का उपयोग सीमित हो है। फलतः पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता मैदानी क्षेत्रों की तुलना में आधे से भी कम है। लेकिन दूसरी ओर यह भी एक सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र मृदा एवं जलवायु की विविधता के कारण कम जल ग्रहण करने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों यथा दालों, मक्का, मंडुवा, सॉवा, रामदाना, बेमौसमी सब्जियों, मिर्च मसालों, सगंध एवं औषधीय पादपों के उत्पादन के लिये सर्वथा उपयुक्त है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश में जैविक खेती को विस्तार दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिये अभी बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है।

भूमि उपयोगिता विवरण–उत्तराखण्ड में भूमि उपयोगिता विवरण आधार वर्ष 2015–16

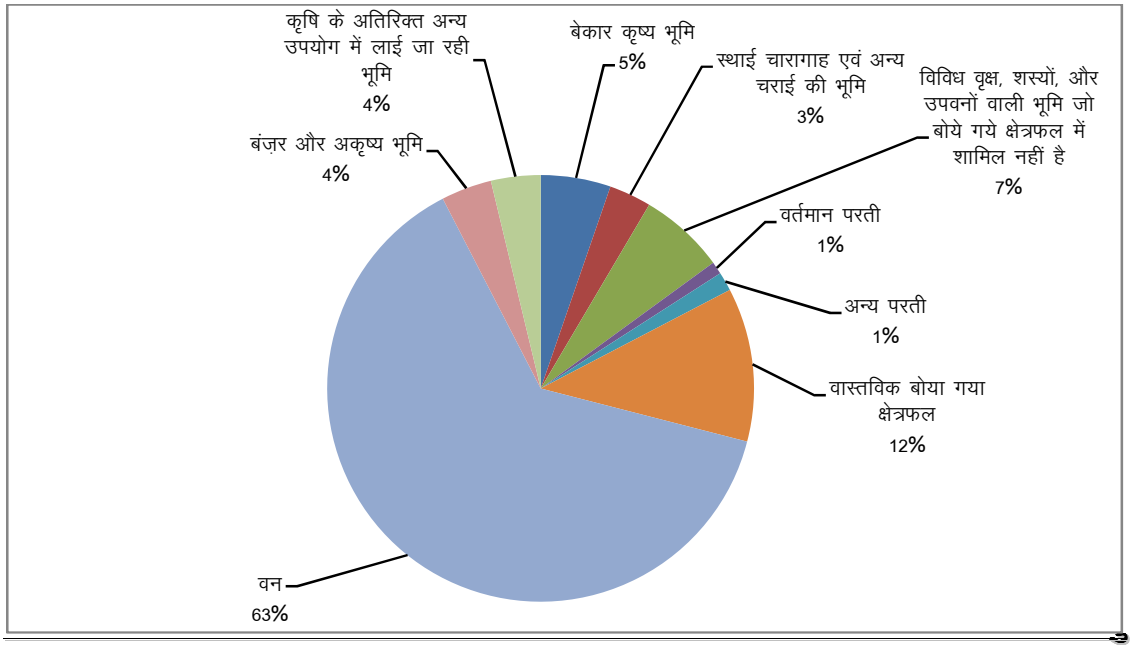

वर्ष 2015–16 के भूमि उपयोगिता अनुमानों के आधार पर 6.98 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही कृषि के उपयोग में लाया गया है तथा 1.43 लाख हैक्टेयर क्षेत्र परती भूमि के अंतर्गत प्रतिवेदित हुआ है। साथ ही 3.18 लाख हैक्टेयर कृष्य बंजर के रुप में प्रतिवेदित है। कृष्य बंजर एवं परती भूमि को क्रमबद्ध तरीके से कृषि के अंतर्गत लाकर फसलों के अंतर्गत क्षेत्र आच्छादन में वृद्धि के उपाय सुनिश्चित किये जा सकते है।

सिंचाई–

कृषि क्षेत्र में सिंचाई का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य में कृषि का अधिकॉश सिंचित क्षेत्र मैदानी भागों में है, कुल 3.30 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 2.86 लाख (लगभग 86.88प्रतिशत) हैक्टेयर क्षेत्र मैदानी भाग में तथा 43250 हैक्टेयर क्षेत्र (लगभग 13.11 प्रतिशत) पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता है। मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई का घनत्व काफी अधिक है जिसके कारण मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र की फसलों की उत्पादकता में भारी अंतर है। प्रदेश का अधिकॉश भाग पर्वतीय होने के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की संभावनायें बहुत ही सीमित हैं। अतः वर्षा जल संरक्षण/संभरण संरचनाओं के अधिकाधिक निर्माण तथा बौछारी सिंचाई हादि से अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मल्टीपरपज वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना से जहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा वहीं कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी।प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना में जल संग्रह टैंक, चैकडैम, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरीगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा हैं राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन–RAD में भी जल संचय एवं जल संग्रह संरचनायें बनाए जा रहे हैं, इन सबसे सिंचाई क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के भूमि उपयोगिता के आधार पर जनपदवार सिंचित क्षेत्र एवं बोया गया क्षेत्रफल का विवरणः–

क्र0 सं0	जनपद	बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल (है0 में)	वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिशत	बोया गया कुल क्षेत्रफल (है0 में)	कुल सिंचित क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिशत
	चमोली	33433	1574	4.71	47408	2936	6.19
2	देहरादून (पर्वतीय)	13449	1962	14.59	20437	3248	15.89
	देहरादून (मैदानी)	25994	19081	73.41	36697	26433	72.03
	देहरादून (योग)	**39443**	**21043**	**53.35**	**57134**	**29681**	**51.95**
3	हरिद्वार	114059	107479	94.23	162615	153581	94.44
4	पौडी गढवाल	62087	6176	9.95	82364	10064	12.22
5	रूद्रप्रयाग	20821	2538	12.19	31410	3825	12.18
6	टिहरी	53809	7739	14.38	81095	14240	17.56
7	उत्तरकाशी	30251	4821	15.94	42182	8840	20.96
गढ़वाल मण्डल		**353903**	**151370**	**42.77**	**504208**	**223167**	**44.26**
8	अल्मोडा	78278	5751	7.35	115796	10077	8.70
9	बागेश्वर	24295	5033	20.72	39710	9904	24.94
10	चम्पावत	16921	1655	9.78	26182	3147	12.02
11	नैनीताल (पर्वतीय)	18809	1742	9.26	27070	2215	8.18
	नैनीताल (मैदानी)	25196	24803	98.44	44779	36031	80.46
	नैनीताल (योग)	**44005**	**26545**	**60.32**	**71849**	**38246**	**53.23**
12	पिथौरागढ़	41891	4259	10.17	71368	7732	10.83
13	ऊधमसिंहनगर	139120	135224	97.20	253591	248726	98.08
कुमांऊ मण्डल		**344510**	**178467**	**51.80**	**578496**	**317832**	**54.94**
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		**394044**	**43250**	**10.98**	**585022**	**76228**	**13.03**
उत्तराखण्ड (मैदानी)		**304369**	**286587**	**94.16**	**497682**	**464771**	**93.39**
उत्तराखण्ड योग		**698413**	**329837**	**47.23**	**1082704**	**540999**	**49.97**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश की कुल सिंचन क्षमता का सबसे अधिक भाग जनपद उधमसिंहनगर में है। मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल बोये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष उधमसिंहनगर में 98.08 प्रतिशत, हरिद्वार में 94.44 प्रतिशत, देहरादून (मैदानी) में 72.03 प्रतिशत एवं नैनीताल (मैदानी) में 80.46 प्रतिशत सिचिंत क्षेत्र है। जबकि पर्वतीय जनपदों में कुल बोये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष सिचिंत क्षेत्रफल औसतन 13.03 प्रतिशत

है। पर्याप्त सिंचित क्षेत्र होने से जनपद उधमसिंहनगर प्रदेश का सबसे अधिक कृषि उत्पादन देने वाला जनपद है।

कृषि जोतें

राज्य के अंतर्गत विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी एवं बिखरी हुई जोतों की बहुलता है। वर्ष 2010–11 की कृषि गणना के आधार पर कुल 912650 जोतों में से 829468 जोतें लघु एवं सीमान्त कृषकों की हैं, जो कुल जोतों का लगभग 91 प्रतिशत है, अनुपस्थित भू–स्वामियों (absentee landlords) की संख्या में वृद्धि हुई है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया जा रहा है–

क्र0 सं0	जोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग	
		क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल
1	सीमान्त (1.0 हे0 से कम)	109296	39738	17102	6092	545740	249726	**672138**	**295556**
2	लघु (1.0 हे0 से 2.0 हे0 तक)	12232	16738	4436	6431	140662	201955	**157330**	**225124**
सीमान्त व लघु जोतों का योग		**121528**	**56476**	**21538**	**12523**	**686402**	**451681**	**829468**	**520680**
कुल जोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिशत		**96.95**	**83.63**	**72.58**	**26.17**	**90.60**	**64.50**	**90.89**	**63.83**
3	अर्द्ध–मध्यम (2.0 हे0 से 4.0 हे0 तक)	3381	8706	4596	13073	56804	153603	**64781**	**175382**
4	मध्यम (4.0 हे0 से 10.0 हे0 तक)	435	2228	3280	18982	13587	73011	**17302**	**94221**
5	बृहत (10.0 हे0 से अधिक)	7	124	259	3282	833	21995	**1099**	**25401**
कुल योग–		**125351**	**67534**	**29673**	**47860**	**757626**	**700291**	**912650**	**815685**

क्रापिंग पैटर्न

कुल बोये गये क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादन के साथ गेहूँ प्रदेश की मुख्य फसल है। धान के अंतर्गत 24 प्रतिशत, मंडुवा के अंतर्गत 10 प्रतिशत, गन्ना के अंतर्गत 10 प्रतिशत, सॉवा के अंतर्गत 5 प्रतिशत एवं कुल दालों के अंतर्गत 5 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है तथा मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र में अन्य फसलों, सब्जियॉ, मसाले, चारा आदि कृषि उत्पादों की खेती की जा रही है ।

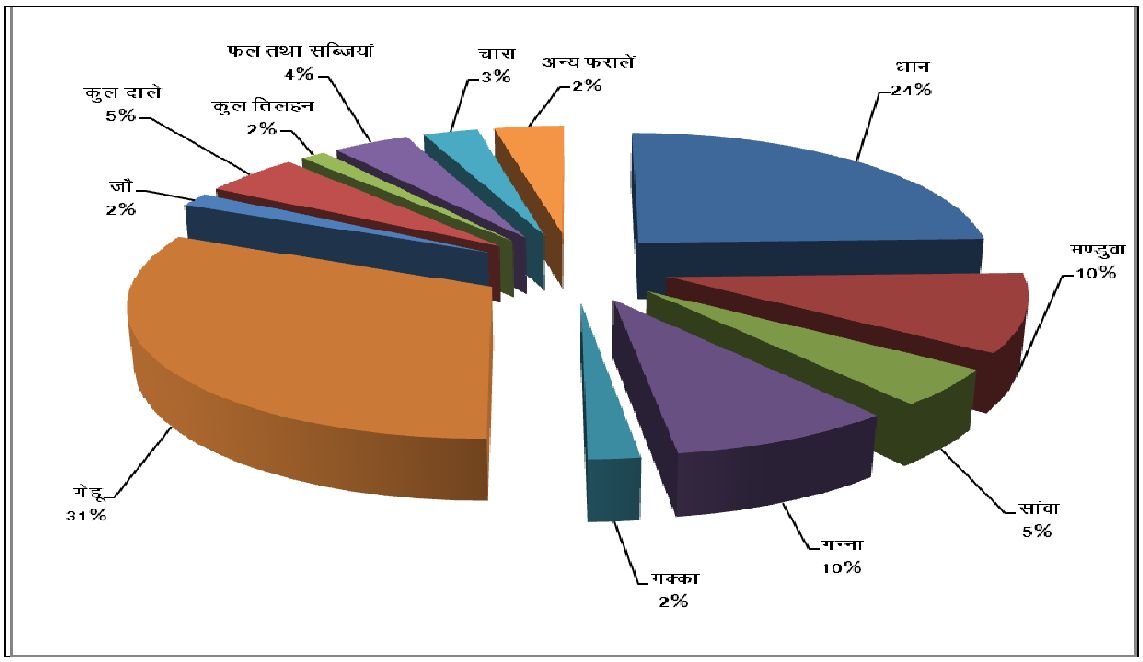

वर्ष 2015–16 के भूमि उपयोगिता ऑकडों के आधार पर

फसल सघनता

वर्ष 2015–16 के भूमि उपयोगिता आकड़ों के अनुसार में प्रदेश में फसल सघनता 155.02प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। गढ़वाल मंडल की फसल सघनता 142.47 प्रतिशत तथा कुमाऊ मंडल की फसल सघनता 167.92 प्रतिशत रही। प्रदेश के अधिकॉश क्षेत्र में एक वर्ष में दो फसलें बोयी जाती हैं। केवल जनपद उधमसिंहनगर में तीन फसलें तक ली जा रही हैं, जिसके कारण प्रदेश में जनपद उधमसिंहनगर की फसल सघनता सबसे अधिक है।

वर्ष 2015–16 के भूमि उपयोगिता विवरण के आधार पर जनपदवार फसल सघनता

जनपद	फसल सघनता	जनपद	फसल सघनता
चमोली	141.80	अल्मोड़ा	147.93
देहरादून	144.85	बागेश्वर	163.45
हरिद्वार	142.57	चम्पावत	154.73
पौड़ी गढ़वाल	132.66	नैनीताल	163.27
रूद्रप्रयाग	150.86	पिथौरागढ़	170.37
टिहरी गढ़वाल	150.71	उधमसिंहनगर	**182.28**
उत्तरकाशी	**139.44**	उत्तराखण्ड	155.02

वर्ष 2016–17* में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नानुसार है :–

क्षेत्रफलः–हैक्टेयर मे उत्पादनः– मैट्रिक टन में उत्पादकताः– कुंतल प्रति हैक्टेयर

नाम फसल	मद	पर्वतीय	मैदानी	कुल
चावल	क्षेत्रफल	110812	149895	260707
	उत्पादन	156740	473119	629859
	उत्पादकता	14.15	31.56	24.16
मक्का	क्षेत्रफल	17012	4883	21895
	उत्पादन	27134	10137	37271
	उत्पादकता	15.95	20.76	17.02
मंडुवा	क्षेत्रफल	107000	175	107175
	उत्पादन	159326	280	159606
	उत्पादकता	14.89	16.00	14.89
झंगोरा/सॉवा	क्षेत्रफल	55340	97	55437
	उत्पादन	78348	129	78477
	उत्पादकता	14.16	13.30	14.16
गेहूँ	क्षेत्रफल	168908	172521	341429
	उत्पादन	227540	654462	882002
	उत्पादकता	13.47	37.94	25.83
कुल धान्य	क्षेत्रफल	488874	327606	816480
	उत्पादन	682611	1138179	1820790
	उत्पादकता	13.96	34.74	22.30
कुल दलहन	क्षेत्रफल	52478	8389	60867
	उत्पादन	43526	7861	51387
	उत्पादकता	8.29	9.37	8.44
कुल खाद्यान्न	क्षेत्रफल	541352	335995	877347
	उत्पादन	726137	1146040	1872177
	उत्पादकता	13.41	34.11	21.34
कुल तिलहन	क्षेत्रफल	13990	13614	27604
	उत्पादन	10935	15268	26203
	उत्पादकता	7.82	11.22	9.49

* अनन्तिम आंकडे

खरीफ वर्ष 2017–18* में मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता (अनन्तिम आंकड़े)

क्षेत्रफलः– हैक्टेयर में उत्पादनः– मैट्रिक टन में उत्पादकताः– कुंतल प्रति हैक्टेयर

नाम फसल	मद	पर्वतीय	मैदानी	कुल
चावल(खरीफ)	क्षेत्रफल	101979	137343	239322
	उत्पादन	147623	457983	605606
	उत्पादकता	14.48	33.35	25.31
मक्का(खरीफ)	क्षेत्रफल	17140	5213	22353
	उत्पादन	32210	11831	44041
	उत्पादकता	18.79	22.7	19.7
मंडुवा	क्षेत्रफल	102607	294	102901
	उत्पादन	140394	261	140655
	उत्पादकता	13.68	8.88	13.67
झंगोरा / सॉवा	क्षेत्रफल	49636	117	49753
	उत्पादन	67963	157	68120
	उत्पादकता	13.69	13.42	13.69
रामदाना	क्षेत्रफल	7102	0	7102
	उत्पादन	7402	0	7402
	उत्पादकता	10.42	0.00	10.42
खरीफ दलहन	क्षेत्रफल	45118	3960	49078
	उत्पादन	39510	3613	43123
	उत्पादकता	8.76	9.12	8.79
खरीफ तिलहन	क्षेत्रफल	7070	6139	13209
	उत्पादन	5998	8081	14079
	उत्पादकता	8.48	13.16	10.66

*** अनन्तिम आंकडे**

वर्षा –

वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक तीन वर्षों के वर्षा के आंकड़ों को देखते हुए वर्ष 2015–16 की अपेक्षा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में अच्छी वर्षा रही। वर्ष 2016–17 में सामान्य औसत वर्षा के सापेक्ष 88 प्रतिशत वर्षा आंकी गयी। उत्पादन में वर्ष का कुल उत्पादन 18.98 लाख मैट्रिक टन (अनुमानित) रहा, जो गत वर्ष 2015–16 से अधिक है। वर्ष 2017–18 में निम्न तालिकानुसार माह फरवरी 2018 तक 92.53 प्रतिशत वर्षा रही, जो गतवर्ष से अधिक है। 2017 खरीफ मौसम में वर्षा संतोषजनक रही, जिसका उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया, परन्तु रबी 2017–18 में वर्षा सामान्य से काफी कम रही, जिस कारण रबी का उत्पादन प्रभावित रहने की सम्भावना है।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक माहवार सामान्य औसत वर्षा के सापेक्ष वास्तविक वर्षा के आंकड़े :–

(मि०मी० में)

माह का नाम	सामान्य औसत वर्षा (मि०मी०)	2015–16		2016–17		2017–18	
		वास्तविक	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक	प्रतिशत वर्षा
अप्रैल	28.52	53.76	188	13.50	47	51.65	181.00
मई	49.00	30.62	62	81.30	166	107.75	219.90
जून	172.97	192.64	111	161.50	93	133.10	96.95
जुलाई	428.64	333.72	78	526.87	123	520.10	121.34
अगस्त	417.42	307.18	74	335.86	80	320.10	76.70
सितम्बर	201.69	52.60	25	109.90	54	225.80	111.95
अक्टूबर	34.98	16.70	48	12.40	35	2.80	8.00
नवम्बर	6.78	2.40	35	0.30	40	0.2	2.95
दिसम्बर	21.42	7.20	34	3.60	17	18.30	85.43
जनवरी	51.97	5.40	11	37.40	72	17.50	33.67
फरवरी	59.89	41.10	68	13.70	23	16.10	24.00
मार्च	43.42	42.30	97	44.60	103	9.7*	
योग	**1516.70**	**1085.62**	**72**	**1340.93**	**88**		

***7 मार्च, 2018 तक**

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण

प्रारूप–1

क्र.सं.	सेवा/योजना का नाम	सेवा का विवरण	गाईडलाईन के अनुसार अनुदान/ कृषक अंश के मानक		सेवा हेतु संपर्क किये जाने वाले पदाधिकारी का विवरण	सेवा हेतु समयावधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4		5	6	7
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	खरीफ 2016 से प्रारम्भ हुई है। किसी अप्रात्याशित घटना से संसूचित फसल में होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। योजना के अन्तर्गत बुवाई न हो पाने की स्थिति में, फसल की अवधि में कोई प्राकृतिक आपदा बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होने की स्थिति में, प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश के मामलों में, स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन के कारण कृषकों की बीमित फसलों को क्षति होने की दशा में वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रदेश में धान, मण्डुवा, गेहूँ व मसूर (जनपद–पौड़ी, पिथौरागढ) में योजना चलायी जा रही है।	मौसम/ फसल	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम की दरें	1. जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी 2.ऋणी कृषकों हेतु जिस बैंक शाखा द्वारा कृषक का बीमा किया गया है, उक्त शाखा का शाखाध्यक्ष। 3. ऋणी तथा अऋणी कृषकों हु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि। 4. न्यायपंचायत प्रभारी	संसूचित फसल को बीमित करने का समय मौसम खरीफ में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक तथा मौसम रबी में 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक।	प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
			खरीफ/ सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें	बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो			
			रबी/ सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो			
			खरीफ एवं रबी(वार्षिक वाणिज्यिक, वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो			
2	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)	कृषकों को जैविक कृषि से सम्बन्धित प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट, जैव निवेशों का वितरण, कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता, जैविक उत्पादों की मार्केटिंग हेतु सुविधायें प्रदान की जा रही है।	निःशुल्क		विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।

3	एडोपशन एण्ड सर्टिफिकेशन अंडर ओर्गेनिक फार्मिंग (Adoption and Certification under Organic Farming)	कृषकों को जैविक कृषि से सम्बन्धित प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट, कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण, जैव निवेशों का वितरण, जैविक प्रमाणीकरण की सुविधायें प्रदान की जा रही है।	कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण 50 % अनुदान पर एवं अन्य सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जा रही है।	विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।
4	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHC)	संतुलित उर्वरक / खाद के उपयोग हेतु दो वर्ष के चक्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	न्याय पंचायत प्रभारी / विकास खण्ड प्रभारी	01 माह	योजना भारत–सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार संचालित है।
5	राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (NMSA-RAD)	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर सीन विशेषिक एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना	सामूदायिक कार्यो साइलेज इकाईयों हेतु 100 % तथा अन्य कार्यो हेतु 40 – 50 % अनुदान देय की सुविधायें है।	न्याय पंचायत प्रभारी / विकास खण्ड प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।
6	विनिर्माण / एन.ओ. सी. प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	विनिर्माण / एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	–	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	45 दिन	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही
7	राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना	राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना	–	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	30 दिन	
8	जनपद में थोक एवं फुटकर विक्रय लाईसेन्स निर्गत किया जाना	जनपद में थोक एवं फुटकर विक्रय लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिन	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही

9	विनिर्माण लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विनिर्माण लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	संयुक्त कृषि निदेशक, गु0नि0, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	30 दिन	कीटनाशी अधिनियम–1968 तथा कीटनाशी नियमावली–1971 के अनुसार संचालित किया जा रहा है।
10	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिन	
11	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिन	बीज अधिनियम–1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश–1982 के अन्तर्गत कार्यवाही
12	बीज ग्राम योजना	योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुमानित मुल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाते हुये बीज उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान कर बीज की सुरक्षित भण्डारण के लिये बुखारी वितरण	धान्य फसलों के बीज वितरण में 50 % तथा दलहन एवं तिलहन के बीज वितरण में 60 % अनुदान देय की सुविधा उपलब्ध कराना	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	15 दिन	बीज अधिनियम–1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश–1982 के अन्तर्गत कार्यवाही
13	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM)	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना	फार्म मशीनरी बैंक वितरण में 80 % एवं अन्य कृषि यन्त्रों में 35–50 %	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	1 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड SMAM की लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।

14	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों को बढ़ावा	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना		विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	1 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड SMAM की लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।
15	per drop more crop – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना other intervention	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप में जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर / चैक डेम/ डक आउट पॉण्ड/ इरीगेशन चैनल 100 % तथा अन्य कार्यो हेतु 50 % अनुदान देय की सुविधायें है	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	1 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।
16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज)	क्षेत्रीय विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों को चलाकर चावल, गेहूँ मोटा अनाज एवं दलहन की कुल उत्पादन में वृद्धि करना।	जल संग्रहण टेंक में 100 % तथा अन्य कार्यो हेतु 40 – 50 % अनुदान देय की सुविधायें है	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।
17	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– तिलहन	राज्य में तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।		विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।
18	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA)	उन्नत एवं नवीन तकनीकों के प्रचार प्रसार से तथा अध्ययन भ्रमण से कृषकों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि तथा प्रशिक्षित कृषका संख्या में वृद्धि तथा आय में वृद्धि	कृषक प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट/ फसल प्रदर्शन/ किसान मेला/ किसान गोष्ठी आदि	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।

प्रारूप–2

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही ।				
	(i) विनिर्माण/एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	45 दिन	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।	–
	(ii) राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	30 दिन	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।	–
	(iii) जनपद में थोक एवं फुटकर विक्रय लाईसेन्स निर्गत किया जाना ।	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिन	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।	–
2	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कार्यवाही ।				
	(i) विनिर्माण लाईसेन्स निर्गत किया जाना ।	सं0कृ0नि0, (गु0नि0)	30 दिन	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।	–
	(ii) विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिन	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।	–
3	बीज अधिनियम 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही ।				
	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना ।	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिन	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।	–